संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा लखनऊ–गोरखपुर (अयोध्या–बस्ती) रोड एन0एच0–27 (पुराना एन0एच0–28) किमी0 नं0–167, (चैनेज नं0–166, 102) के मध्य बांयी पटरी पर खसरा नं0–381, ग्राम –बडहर कला, तहसील–हरैया, जिला–बस्ती में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 30.11.2020 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,बस्ती के द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1– पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु उपयोग में आने वाली मार्ग पटरी की भूमि संरक्षित वन घोषित है। आप्रोच मार्ग से प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.187502 हे0 भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यकता है।

2– प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन में कुल 71 वृक्ष —— बाधक हैं।

3– प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण, अधिनियम–1980 का उल्लघंन कार्य नही किया गया है। पहुँच मार्ग हेतु निर्माण कार्य की अनुमति उच्च स्तर से मिलने के बाद ही जायेगा।

4– भू–स्वामित्व विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वामित्व वाले संरक्षित वन भूमि पर पहुँच मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि 0.187502 हे0 पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नही कर रहे है तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई दावा लम्बित नहीं है, एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषण समुदाय के हित प्रभावित नही हो रहे है।

5– उक्त प्रस्तावित पहुँच मार्ग निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित भूमि (मार्ग पटरी) के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

6– उक्त रिटेल आउटलेट के क्षेत्र में पुरातात्विक स्थल/हेरिटेज स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान/अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नही है और न ही वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हरैया रेंज

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,बस्ती

Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

सुधा त्रिपाठी

Scanned with CamScanner